मरुप्रदेश निर्माण पदयात्रा चौमूं इलाके में पहुंची

चौमूं, (निसं)। राजस्थान प्रदेश के 13 जिला को मरूप्रदेश बनाने की मांग को लेकर श्रीगंगानगर से सैकड़ों किसान ऊंट गाड़ी में बैठकर चौमूं कमिश्नरेट इलाके की सीमा के पास पहुंचे।

जहां पर चौमूं थाना पुलिस ने सैकड़ों किसानों की ऊंटगाड़ी पदयात्रा को रोक दिया है। मरूप्रदेश युवा मोर्चा के प्रवक्ता महिपाल महिला ने बताया कि चौमूं पुलिस द्वारा किसानों को रोका गया है। किसान अपनी वाजिब मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए जयपुर जा रहे थे। 23 जनवरी से चल रही पदयात्रा श्रीगंगानगर से चौमूं तक पहुंच चुकी है। इस यात्रा में शामिल किसान शांतिपूर्वक श्रीगंगानगर से चलकर चौमूं तक ऊंट गाड़ियों के साथ पहुंच चुके हैं। हमारी मुख्य मांग 13 जिलों को शामिल कर मरूप्रदेश बनाने की है और इसी के साथ 32 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है। लेकिन ना जाने क्यों पुलिस हमें जयपुर जाने से रोक रही है। जब तक पुलिस हमें आगे नहीं जाने देगी यहीं पर धरना देकर बैठे रहेंगे। इस दौरान चौमूं एसीपी राजेंद्र सिंह निर्माण, विश्वकर्मा थाना प्रभारी रमेश सैनी, चौमूं थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा हरमाड़ा सहित अतिरिक्त पुलिस जाब्ता पर मौजूद रहा।

कार्यकर्ता संगठनात्मक कार्यों को पूर्ण तत्परता के साथ करें: पूनिया

चौमूं/कालाडेरा, (निसं)। सोमवार को शहर के जयपुर रोड स्थित एक निजी गार्डन में भाजपा जिला जयपुर देहात (उत्तर) की कार्यसमिति जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

इस कार्यसमिति में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पुनिया का विधायक रामलाल शर्मा ने पार्टी का

■ **भाजपा जिला कार्यसमिति का हुआ आयोजन**

दुपट्टा ओड़ाकर एवं फूलो का गुच्छा भेंट कर स्वागत किया। साथ ही ज़िलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा और कार्यकर्ताओं द्वारा वीर तीजाजी की फ़ोटो और तलवार भेंट कर सम्मान किया। प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पुनिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता संघटनात्मक कार्यों को पूर्ण तत्परता के साथ पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करे तथा साथ ही उन्होंने संगठनात्मक कार्य एवं आगामी कार्ययोजना को लेकर

चौमूं में आयोजित भाजपा जिला जयपुर देहात (उत्तर) की कार्यसमिति में पहुंचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया का विधायक रामलाल शर्मा ने स्वागत किया।

संवाद किया भाजपा राजस्थान प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने राज्य सरकार की पिछले 4 सालो की नाकामियों को गिनाया। उन्होंने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का आ ान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ज़िलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने मण्डलवार संघटनात्मक कार्यों का फ़ीडबेक लिया तथा आगामी कार्ययोजना को सफल क्रियान्वित के लिए दिशा निर्देशित किया। इस मोके पर जयपुर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, विराटनगर से पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा, जिला प्रभारी सतवीर यादव, सोमकांत शर्मा, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष गौरव यादव, कोटपूतली भाजपा नेता मुकेश गोयल, जमवारामगढ़ के भाजपा नेता महेंद्र पाल मीणा सहित प्रधान रामस्वरूप यादव, प्रधान बद्रीनारायण शर्मा, चौमूँ विधानसभा से गजानंद कुमावत, जनप्रतिनिधिगण, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष एवं कार्यसमिति सदस्य, पार्षदगण उपस्थित रहे।

छात्र-छात्राओं का सम्मान किया

श्रीमाधोपुर, (निसं)। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज श्रीमाधोपुर में सोमवार को आईसीएआई द्वारा आयोजित सीए फाउंडेशन की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

वाणिज्य संकाय प्रभारी मनीष अग्रवाल ने बताया कि आईसीएआई द्वारा आयोजित सीए फाउंडेशन की परीक्षा में महाविद्यालय के छात्र रितिक अग्रवाल पुत्र विक्रम कुमार गोपालका बीकॉम प्रथम वर्ष श्रीमाधोपुर ने 262 अंकों के साथ प्रथम स्थान, तुषार बजाज पुत्र रामगोपाल बजाज,बीकॉम द्वितीय वर्ष श्रीमाधोपुर ने 239 अंको के साथ द्वितीय स्थान, निकिता अग्रवाल पुत्री अभिनेष अग्रवाल,बीकॉम प्रथम वर्ष श्रीमाधोपुर ने 203 अंको के साथ तृतीय स्थान, उदिता बजाज पुत्री बिजेंद्र बजाज,बीकॉम द्वितीय वर्ष श्रीमाधोपुर ने 200 अंको के साथ चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। चयनित छात्र-छात्राओं का महाविद्यालय निर्देशक मोहर सिंह खर्रा, प्राचार्य डॉ वीरेंद्र कुमार सैनी,उपप्राचार्य विजेंद्र कुमार, व्याख्याता सुमित्रा देवी, पूर्व पालिका अध्यक्ष तनसुख कुमावत व भानाराम देवंदा सेवानिवृत्त प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीमाधोपुर द्वारा माला पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि दी

अलवर, (निसं)। अलवर राजमाता स्वर्गीय युवरानी महिंद्रा कुमारी पूर्व सांसद अलवर की जयंती पर महल चौक सागर के पास में उनकी समाधि स्थल पर जाकर भावभीनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित की वह सादर नमन किया। इस कार्यक्रम में डॉ. जीएस नरूका प्रभारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल, दल जगत जिला महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी अलवर व मुंडावर के पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी एवं एडवोकेट दुलीचंद मीणा जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस सेवा दल अलवर साथ में जितेंद्र सिंह नरूका भी मौजूद रहे मौजूद रहे।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण नवल किशोर तम्बोलिया पुत्र स्व.श्री कन्हैयालाल एवं श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री नवल किशोर तम्बोलिया, निवासी-स्वउर्जित प्लाट नंबर ई/ई 18, घाट के बालाजी, जामरा रोड, सुमेल जयपुर, राज. 302031 का पुत्र राहुल खण्डेलवाल एवं पुत्रवधु निधि रावत उर्फ योगिता हाल निवासी मकान नंबर 53 सी, डीलाशपुरी, गोलीमार गार्डन, जयपुर मेरे अभिभाष्यगण के कहे मे नही है और पुत्रवधु ने गत काफी समय से मेरे अभिभाष्यगण को प्रताडित कर रखा है और मेरे अभिभाष्यगण से अलग रिहायशा कर रहे है। जिसके चलते मेरे अभिभाष्यगण ने इन दोनो से अपने समस्त पारिवारिक संबंध विछेद कर लिये है तथा कोई भी व्यक्ति इन दोनो से किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार करता है तो उस बाबत वह स्वयं जिम्मेवार होगा। सूचित रहें।

जयपुर (सत्यवीर सिंह मूंड)
दिनांक-06/02/2023 एडवोकेट

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JAIPUR BENCH, JAIPUR.
S.B. / D.B. CIVIL WRIT PETITION NO._____/2023
Application under Rule 159 of The Rajasthan High Court Rules for entering into
CAVEAT

MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIPS:-

Your Lordship's humble applicants want to enter into caveat under Rule 159 of The Rajasthan High Court Rules and let nothing be done till the applicants are heard in the matter.

The particulars of the **S.B./D.B. Civil Writ Petition** which is likely to be filed are given below:-

The S.B. / D.B. Civil Writ Petition may be filed by the following persons:- Any Person

The S.B. / D.B. Civil Writ Petition is likely to be filed against:-

1. **Vice Chancellor**, Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner, Jaipur(Raj.)
2. **Registrar**, Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner, Jaipur(Raj.)

That the S.B. / D.B. Civil Writ Petition is likely to be filed with regard to the **Advertisement**: SKNAU/01/2023/1851 and Advertisement: SKNAU/02/2023/1853 **Dated:- 01.02.2023** issued by The Registrar, Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner inviting applications against vacant posts of Professor / Associate Professor / Assistant Professor / Dy. Director Research / Senior Scientist & Head / Assistant Librarian in the University.

That Vakalatnama on behalf of The Registrar, Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner, Jaipur(Raj.) is submitted herewith. It is,therefore, humbly prayed that nothing be done in the writ petition's till the applicants are heard.

Humble Applicants Through Counsel
(HIMANSHU THOLIA) (ADVOCATE)

दर्ज़ मुकदमे वापस लेने की मांग

खैरथल, (निसं)। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह से अलवर स्थित निवास फूलबाग पैलेस में विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने भेंट कर 2 अप्रैल 2018 को एससी एसटी के विरोध में आंदोलन के दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने के लिए व खैरथल नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के विषय में विस्तार बातचीत की।

शिष्टमंडल में नगरपालिका में नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, पार्षद रामचंद्र कामरेड, पार्षद राहुल रसगण, नवीन खैरिया आदि एवं समाज के लोग शामिल हुए।

भंवर जितेंद्र सिंह ने जल्दी ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर इस मामले से अवगत कराने के साथ ही जल्द ही खैरथल नगर पालिका मे विकास कार्य करा कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।

उधर एससी एसटी एक्ट में संशोधन करने के विरोध में प्रदर्शन करने के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी के लिए दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि पांच साल पहले 2 अप्रैल 2018 को एससी एसटी एक्ट में संशोधन के विरोध में खैरथल में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया था।

उस समय भाजपा सरकार के द्वारा जबरदस्ती घरों के दरवाजे तोड़कर नाबालिग बच्चे व पढने लिखने वाले विद्यार्थियों महिलाओं के साथ मारपीट कर गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ संगीन धाराओं को लगाकर उनका भविष्य खराब करने के लिए उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाये व जेल भेजने का काम किया ।

तीस साल बाद पट्टे मिलने पर चेहरे खिले

मालपुरा, (निसं)। नगरपालिका शहरी क्षेत्र के वार्ड नम्बर 33 में बीते तीस सालों से निवास कर रहे लोगों को सोमवार को पालिका अध्यक्ष आशा नामा व ईओ राजपाल बुनकर व वार्डपार्षद सुरेन्द्र सिंह राव द्वारा पट्टे दिये गये तो लोगों के चेहरे खिल उठे।

पालिका अध्यक्ष आशा नामा ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान चला नियमों की जटिलता में भारी शिथिलता दे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टा वितरण के आदेश जारी होने के बाद नगरपालिका द्वारा लगातार लोगों को पट्टे दिये जा रहे हैं। पालिका शहरी क्षेत्र के वार्ड नम्बर 33 के 21 लोग जो कि बीते तीस साल से अपने मकान के पट्टे से

मालपुरा के वार्ड 33 में लोगों को पालिका अध्यक्ष आशा नामा व ईओ राजपाल बुनकर ने पट्टे वितरित किये।

वंचित थे। पार्षद सुरेन्द्र सिंह राव द्वारा अभियान के अन्तर्गत सभी दस्तावेजों की पूर्ति कर पत्रावलियां तैयार करने पर 69 क के 17, आवासीय कॉलोनी के 3 व एक कृषि भूमि सहित कुल 21 पत्रावालियां जमा करवाई गई जिनके पट्टे तैयार कर सभी 21 लाभार्थियो को पट्टे बांटे गये।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा कार्यालय: श्री राम की नागल, मुख्य गांव, श्री राम की नागल पंचायत भवन के पास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर 302022
मोबाईल नं.: 8905990421, ई-मेल: vjshri@bankofbaroda.co.in

मांग सूचना-सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत

निम्नांकित ऋणी एवं जमानतदार को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्होने बैंक से लिए गए ऋण की किश्तों एवं उसके ब्याज का समय पर भुगतान नहीं किया अत: उनका खाता एन.पी.ए. में वर्गीकृत हो गया हैं। बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उनको बैंक रिकॉर्ड के अनुसार उनके अन्तिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किए गए थे जो कि उनके द्वारा प्राप्त नहीं किए जाने के फलस्वरूप पुन: लौटकर आ गए हैं। अत: उनको इस सामान्य नोटिस के द्वारा उक्त अधिनियम के तहत इस बारे में सूचित किया जाता है:

ऋणी एवं जमानतदार का नाम एवं पता	प्रतिभूत आस्तियों/ बंधक सम्पत्ति का विवरण	नोटिस 13(2) की दिनांक	बकाया राशि (नोटिस 13(2) के अनुसार)
श्री रमेश चंद पुत्र श्री जिन्सी यादव प्लॉट नं. 05, महावीर कॉलोनी बी, ईपीआईपी गेट, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान 302022 एवं 108, मंदिर मोहल्ला, दंगरवाड़ा, सवाई माधोपुर, राजस्थान 322026 एवं प्लॉट नं. 109, खुशी संसार-VII (नेमीनाथ नगर), गांव इन्द्रपुरी, टोंक रोड़, जयपुर - 302022 **जमानतदार- श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री रमेश चंद यादव** प्लॉट नं. 05, महावीर कॉलोनी बी, ईपीआईपी गेट, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान 302022 एवं 108, मंदिर मोहल्ला, दंगरवाड़ा, सवाई माधोपुर, राजस्थान 322026 एवं प्लॉट नं. 109, खुशी संसार-VII (नेमीनाथ नगर), गांव इन्द्रपुरी, टोंक रोड़, जयपुर - 302022	श्री रमेश चंद पुत्र श्री जिन्सी यादव के नाम साम्यिक बंधक प्लॉट नं. 109, खुशी संसार-VII (नेमीनाथ नगर), गांव इन्द्रपुरी, टोंक रोड़, जयपुर - 302022 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 116.93 वर्ग गज है। **सीमाएं**- पूर्व: प्लॉट नं. 110, पश्चिम: प्लॉट नं. 108, उत्तर: रोड़ 40'0" चौड़ी, दक्षिण: अन्य भूमि	25.01.2023 **गैर निष्पादक आस्ति (एनपीए) दिनांक** 23.01.2023	दिनांक 23.01.2023 को बकाया राशि रू. 22,14,106.56 (रूपये बाईस लाख चौदह हजार एक सौ छह एवं पैसे छप्पन मात्र) दिनांक 23.01.2023 तक ब्याज शामिल करते हुए एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे आदि।

इस नोटिस के द्वारा उक्त ऋणी/जमानतदार के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त उधारकर्ताओं/जमानतदार को उक्त बकाया राशि इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिवस के भीतर पुनर्भुगतान हेतु आगाह किया जाता है, अन्यथा साठ (60) दिवस की समाप्ति के पश्चात सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही की जाएगी। ऋणी/जमानतदार को यह भी सलाह दी जाती हैं कि वे बैंक के अथोहस्ताक्षरकर्ता/प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस पर 13(2) के अन्तर्गत जारी नोटिस की मूल प्रति प्राप्त कर लेवें। **कर्जदारों/जमानतदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।**

दिनांक: 06.02.2023 हस्ता.
स्थान: जयपुर प्राधिकृत अधिकारी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
(पूर्व में आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)]
कब्जा नोटिस
(अचल सम्पत्ति का)

चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) के प्राधिकृत अधिकारी है अतः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19.10.2022 को एक मांग पत्र कर्जदारों, सह-कर्जदारों एवं जमानतियों 1. राहुल ट्रेडर्स, 2. ज्ञान चन्द बिखानी, 3. राहुल बिखानी, 4. कंचर बिखानी को जारी किया गया था, जिसमें 04.10.2022 की तिथी को देय, मांगपत्र में उल्लेखित राशी रूपये 1,28,98,856.00/- (रूपये एक करोड अठाईस लाख अठानवे हजार आठ सौ छप्पन मात्र) का भुगतान उपयुक्त नोटिस प्राप्ती के 60 दिन के अन्दर करने को कहा गया था।

चूंकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चुकाने में विफल रहे हैं अतः कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों के आज फरवरी 2023 के 6ठे दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) की प्रभारित शर्तों के अधीन राशी रूपये 1,28,98,856.00/- (रूपये एक करोड अठाईस लाख अठानवे हजार आठ सौ छप्पन मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा।

कर्जदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

प्लाट नं. 141 के उत्तरी भाग का पूरा एवं प्रत्येक भाग, क्षेत्रफल 150 वर्गगज, पदमावती कॉलोनी-1, अजमेर रोड, जयपुर (राज.) और सीमायें हैं- पूर्व-प्लाट नं.152, पश्चिम-रोड 30 फिट चौडी, उत्तर-प्लाट नं. 142, दक्षिण-प्लाट नं.141 दक्षिणी भाग

दिनांक - 06 फरवरी 2023
स्थान-जयपुर
ऋण खाता संख्या- 10034943044, 10034943066, 10056677631 एवं 10088574898 प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)

नगरपालिका के कर्मचारियों से एसीबी ने बयान लिये

मालपुरा, (निसं)। एक ठेकेदार से मालपुरा नगरपालिका में बकाया भुगतान की एवज में घूस की मिली शिकायत पर 12 जनवरी 2022 को जयपुर ग्रामीण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम द्वारा की गई ट्रेप की कार्यवाही मामले में एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद सोमवार 6 फरवरी को एसीबी टीम के अचानक नगरपालिका कार्यालय पहुंच बंद कमरे में कर्मचारियों के बयान लेने से कार्यालय में हड़कम्प मच गया।

सूत्रों से मिली जानकारी में सामने आया कि जयपुर ग्रामीण एसीबी टीम में जांच अधिकारी चन्द्रगुप्त महावर के नेतृत्व में पालिका के एक बंद कमरे में तीन से पांच कर्मचारियों को एक-एक कर तकरीबन चार घंटे तक बयानों की कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय है कि 12 जनवरी 2022 को हुई ट्रैप की कार्यवाही में एक ठेकेदार व एक संविदाकर्मी को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद राज्य सरकार के आदेशों पर प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए स्वायत शासन विभाग ने आदेश जारी कर तत्कालीन भाजपा के पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी को पालिका अध्यक्ष व वार्डपार्षद पद से निलम्बित किया गया था जो कि आज भी निलम्बित चल रही है। वर्तमान में कांग्रेस पार्षद आशा नामा को स्वायत शासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर आगामी आदेशों तक अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया। एक वर्ष से अधिक समय बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम के जांच अधिकारी द्वारा अचानक कार्यालय पहुंच कर्मचारियों को बंद कमरे में बयान को लेकर शहर व राजनैतिक गलियारे में तरह-तरह के कयास लगाये जा रहे हैं। उक्त मामले मे निलम्बित पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किये हुए है तो सोमवार को उक्त मामले मे राजस्थान सरकार की और से सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई है।

बिजली के बकाया पर विषेश अभियान चलेगा

फागी, (निसं)। क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों के बिजली के 56 लाख बकाया चल रहे हैं जिससे बिजली विभाग में वसूली के लिए आठ फरवरी से विषेश अभियान चलाकर कार्यवाही की जावेगी।

सोमवार को फागी जयपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियन्ता कार्यालय में बकाया वसूली को लेकर मिटिंग का आयोजन हुआ जिसमें कनिश्ठ अभियन्ता फागी रेनवालमांजी नीमेडा व सभी फीडरों के प्रभारी की उपस्थिति में सहायक अभियन्ता राजकुमार गर्ग ने बताया कि फागी उपखण्ड में 7039 नियमित उपभोक्ताओं में 235 लाख बकाया है। जिसमें पुलिस विभाग के लगभग 21 लाख अस्पताल के लगभग डेड लाख पी एच डी में 19 लाख ग्राम पंचायतों में 13 लाख तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में ढाई लाख रूपये बकाया चल रहे हैं। साथ ही सहायक अभियन्ता ने ऊर्जा विभाग द्वारा लागू की गई एमनेस्टी योजना जो 30 जून 23 तक प्रभावी रहेगी ।

सहायक अभियन्ता ने सभी कार्मिकों को योजना का प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुचांने के लिए पाबन्द करते हुए कहा कि आठ फरवरी से विषेश अभियान चलाया जाकर एक हजार से अधिक वाले नियमित उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जावेंगे।

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर परिषद, दौसा (राजस्थान)
150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
फोनः नं. 01427-220054 E-mail:dausa.jaipur@yahoo.com
क्रमांकः न.प.दौ./भूमि/90-ए/15240 दिनांकः 6/02/2023

प्रारूप-13
नियम 13 (2)
(प्राधिकृत अधिकारी) दौसा
लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि नगरीय क्षेत्र दौसा के राजस्व ग्राम खेडली में स्थिति भूमि या उनके भाग जिनका विवरण नीचे दिया गया है। 17 जून, 1999 से पश्चात् की कालावधि से गैर-कृषिक आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए निम्नांकित भूमि या उसके भाग में व्यक्तियों के अधिकार/हित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क की उप-धारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने के दायी हैः-

क्र.सं.	उप तहसील का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टयर में)
1	भाण्डारेज	खेडली	5	1.11
2	भाण्डारेज	खेडली	6	0.37
3	भाण्डारेज	खेडली	7	0.67
4	भाण्डारेज	खेडली	8	1.27
5	भाण्डारेज	खेडली	9	0.28
6	भाण्डारेज	खेडली	13	0.38
7	भाण्डारेज	खेडली	14	0.62
8	भाण्डारेज	खेडली	15	0.31
9	भाण्डारेज	खेडली	16	0.35
10	भाण्डारेज	खेडली	17	0.64
11	भाण्डारेज	खेडली	38	0.29
12	भाण्डारेज	खेडली	39	0.33
13	भाण्डारेज	खेडली	63	5.41

अतः उक्त भूमि हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के भीतर-भीतर कारण बतायें कि क्यों न उक्त भूमि पर उसके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाये और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमों से मुक्त निहित किया जा सके।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन 2023 (वर्ष) के फरवरी (मास) के 06वें दिन को जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त
नगर परिषद, दौसा

गिरदावरी कर खराबे का आंकलन किया

लालसोट, (निसं)। उपखंड क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर तेज बारिश एवं खराब मौसम के बाद हुए फसल खराबे का जायजा लेने के लिए तहसीलदार मदनलाल मीणा की अगुवाई में राजस्व टीम द्वारा विभिन्न जगहों पर फसल खराबे का जायजा लिया गया।

■ **श्रीमां ग्राम पंचायत में तहसीलदार की अगुवाई में फसल खराबे का जायजा लिया**

पिछले दिनों तेज बारिश एवं उसके साथ चले अंदर के दौरान खेतों में पकी पकाई फसलें खराब हुई है। इस फसल खराबे के बाद किसानों द्वारा सरकारी एवं प्रशासनिक स्तर पर खराबे का आकलन कर मुआवजा आदि दिलाने की मांग की गई थी। ग्राम पंचायत श्रीमा में खराब हुई फसलों का जायजा लिया और किसान भाईयों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। साथ में तहसीलदार साहब मदनलाल मीना श्रीमा पटवारी विश्राम मीना तलाव गांव ग्राम पंचायत के पटवारी मुकेश मीना देवली ग्राम पंचायत के पटवारी कृषि प्रवेशक कविता मीना व समस्त स्टाफ को ग्राम पंचायत श्रीमा कि और से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ग्राम पंचायत श्रीमा में खराब हुई फसलों को खेत खेत में जाकर जायजा लिया। अगले हफ्ते में राजस्थान प्रदेश का बजट आने वाला है संभवतया माना जा रहा है कि इसी बजट में किसानों को राहत देने के लिए प्रशासनिक मशीनरी को खेत खलियान की तरफ बढाया गया है ताकि समय पर हुई फसल खराबे का मुआवजा का आकलन होने के बाद सही स्थिति सामने आ सके ताकि बजट निर्धारण में इस विषय को जगह में मिल सके।

नहर की मांग पर शपथ ली

बहरोड़/अलवर, (निसं)। युवरानी महेंद्रा कुमारी की जयंती पर लंबे समय से चल रही कृषि भूमि पर नहरी पानी की मांग पर हजारों की संख्या में मौजूद किसानों के साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह सहित कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली तथा बलबीर सिंह छिल्लर जिला प्रमुख ने मुंडावर के पंचायत समिति प्रांगण में राठ क्षेत्र के लिए पानी की नहर लाने की शपथ लेकर तहसील स्तर से लेकर जिला, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर से कृषि भूमि की नहर लाने का आव्हान करते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का आव्हान किया।

गौरतलब है कि युवरानी महिंद्रा कुमारी की जयंती पर मुंडावर में आयोजित कृषि भूमि की नहरी मांग की जनसभा कार्यक्रम से पूर्व मुंडावर में हाथ से हाथ जोडो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए भंवर जितेंद्र सिंह व टीकाराम जूली तथा बलवीर सिंह छिल्लर ने अनेक विकास कार्यों की पट्टिकाओं का एक साथ उद्घाटन किया।

युवरानी महेन्द्रा कुमारी की स्मृति में एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू

अलवर, (निसं)। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने पूर्व सांसद युवरानी महेन्द्रा कुमारी की स्मृति के अवसर पर राजर्षि महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित 17वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 प्रतियोगिता का युवरानी महेन्द्रा कुमारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ किया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने युवरानी महेन्द्रा कुमारी की स्मृति के अवसर पर उन्हें स्मरण करते हुए कहा कि सरल स्वभाव, उच्च व्यक्तित्व की धनी व अलवर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली युवरानी महेंद्रा कुमारी के पद चिन्हों पर चलते हुए अलवर के विकास को गति देने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी आयुवर्ग खासकर वृद्धजन खिलाडियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे अपनी प्रतिभा के बल पर यह साबित करें कि वे किसी से कम नहीं है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह एवं मंत्री टीकाराम जूली ने खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने खिलाडियों को एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा खेल व खिलाडियों को बढावा देने व प्रदेश में खेलों का माहौल तैयार करने के उद्देश्य राज्य स्तरीय ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया गया जिसमें बडी संख्या में हर वर्ग व सभी आयुवर्ग के महिला व पुरूषों ने बढचढकर भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरीय क्षेत्र निवाई (न.पा.नि.)(जिला-टोंक)
क्रमांक : का.प्रा.अधि.न.क्षे.नि./कृ.भू./2021-22/13108 दिनांक 18/1/2023
प्रारूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका निवाई
लोक सूचना

श्री एमानुअल मिशन स्कूल निवाई, जरिये मेनेजर अगस्टीन जोर्ज पुत्र एडियल जोर्ज ईसाई सा. शान्ती नगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक शैक्षणिक प्रयोजनार्थ प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारो के निर्वापन के